(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that while cane-crops are standing ready for cutting in the fields, the sugar mills are not lifting the cane, and the mills are not working to capacity;

(b) if so, the extent of cane crops so standing and how far the mills have been running below capacity during the current year;

(c) the reasons to which this situation is attributable;

(d) the annual estimated requirement of sugar and the likely sugar production this year; and

(e) steps taken or being taken to remedy the situation and to avert the need for import of sugar?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) The sugar mills in the sugar season, 1995-96, have crushed far more cane than in any of the previous years. Upto 30.6.1996 nearly 1671 lakh tonnes of sugar cane had been crushed as against about 1476 lakh tonnes crushed for the whole year in the previous season, 1994-95, which was a record sugar production year till then. Some sugar factories were still in operation after 30.6.1996.

(d) The estimated internal requirement of sugar during the current 1995-96 sugar season is likely to be 130 lakh tonnes and estimated production is likely to be more than 162 lakh tonnes.

(e) In view of the comfortable availability of sugar, Government is not contemplating any import of sugar.

चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री

*345. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं और चावल की कीमतों में वर्तमान वृद्धि को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए गए थे कि गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करके इनकी कीमतों को नियंत्रित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम द्वारा अगस्त माह में गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री की गई थी;

(ग) यदि हां, तो किस-किस राज्य में, किस-किस दर पर गेहूं और चावल की कितनी-कितनी मात्रा में बिक्री की गई; और

(घ) क्या इस प्रकार खुले बाजार में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश के परिणामस्वरूप इनकी कीमतें कम हुई और यदि हां, तो किस-किस राज्य में कितनी-कितनी कीमतें कम हो पायी थीं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित आधार पर अक्तूबर, 93 से गेहूं और जनवरी, 94 से चावल की खुली बिक्री करने की अनुमति दी गई थी:—

(1) नई वसूली के लिए अत्यावश्यक भण्डारण स्थान उपलब्ध करवाना।

(2) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्टाक की रख-रखाव लागत को कम करना।

(3) खुले बाजार के मूल्यों पर सन्तुलित प्रभाव डालने के लिए विपणन हस्तक्षेप को एक उपाय के रूप में इस्तेमाल करना।

(4) खाद्य राजसहायता के भार को कुछ सीमा तक कम करना।

(ख) और (ग) जी, हां। अगस्त, 1996 मास के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्रों में घरेलू खपत के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्य बताने वाली जानकारी क्रमशः विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं (नीचे देखिए) अगस्त, 1996 के दौरान खुली बिक्री के लिए गेहूं और चावल के राज्यवार आवंटन को बताने वाली जानकारी विवरण III के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए) अगस्त, 1996 के लिए बिक्री अभी जारी है

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुली बिक्री का गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों पर सन्तुलित प्रभाव पड़ा है। खुली बिक्री के अभाव में बाजार में गेहूं और चावल के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई होती।

विवरण-I

अगस्त, 1996 मास के लिए विभिन्न केन्द्रों पर घरेलू खपत के लिए गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं॰	मुख्य केन्द्र के नाम	दर रुपए/प्रति टन
1.	गुवाहाटी	5188
2.	मुम्बई	5080
3.	नागपुर	5005
4.	इन्दौर	4925
5.	ग्वालियर	4753
6.	रायपुर	5066
7.	अहमदाबाद	5007
8.	सुरत	5016
9.	कटक	5143
10.	भुवनेश्वर	5149
11.	पटना	4963
12.	कलकत्ता	5091
13.	सिल्लीगुड़ी	5110
14.	दिल्ली	4550
15.	चण्डीगढ़	4550
16.	लखनऊ	4800
17.	कानपुर	4810
18.	रांची	5056
19.	मद्रास	5234
20.	कोयमबटूर	5303
21.	मदुरै	5333
22.	कोचीन	5334
23.	त्रिवेन्द्रम	5365
24.	हैदराबाद	5142
25.	विशाखापटनम	5223
26.	बंगलौर	5280
27.	मैसूर	5299
28.	बेलगाम	5198
29.	जयपुर	4765
30.	शिमला	4681
31.	जम्मू	4655
32.	श्रीनगर	4655
33.	वाराणसी	4894
34.	बरेली	4550

अन्य केन्द्रों पर डिपुओं पर खुली बिक्री के मामले में निकटवर्ती प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दर लागू होंगी।

विवरण-II

अगस्त, 1996 मास के लिए विभिन्न राज्यों में घरेलू खपत के लिए चावल की खुली बिक्री के मूल्यों को बताने वाला विवरण।

(दर रुपए प्रति टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	7050	7350
2.	हरियाणा	7000	7300
3.	उत्तर प्रदेश	6900	7200
4.	राजस्थान	7500	7650
5.	दिल्ली	6740	7060
6.	जम्मू और कश्मीर	6680	7000
7.	पश्चिम बंगाल/बिहार/उड़ीसा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/गुजरात/कर्नाटक/केरल/ आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु	7130	7450

पत्तन कस्बे के 50 किलोमीटर के अन्दर घरेलू खपत के लिए खुली बिक्री के लिए दरें इन पत्तन कस्बों में निर्यात के लिए बिक्री के मामले में यथा लागू दर से 50 रुपए प्रति टन कम होगी।

विवरण-III

अगस्त, 1996 मास के लिए बाजार में खुली बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटित गेहूं और चावल की मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्रम सं०	राज्य नाम	गेहूं	चावल
1.	पंजाब	40	20
2.	हरियाणा	25	04
3.	उत्तर प्रदेश	30	15
4.	दिल्ली	10	02
5.	राजस्थान	50	10
6.	जम्मू और कश्मीर	10	02
7.	पश्चिम बंगाल	20	05
8.	उड़ीसा	10	05
9.	बिहार	20	02
10.	महाराष्ट्र	20	35
11.	गुजरात	10	05
12.	मध्य प्रदेश	20	10
13.	तमिलनाडु	15	05
14.	आंध्र प्रदेश	15	10
15.	कर्नाटक	20	10
16.	केरल	10	10
17.	हिमाचल प्रदेश	04	—

Contracts signed with foreign Parties

*346. SHRI ASHOK MITRA:Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the number of contracts signed since 1991-92 with foreign parties by the Ministries and Public Undertakings for purchase or sale of equipment and material involving transactions of Rs. 10 crore or more;

(b) the general guidelines followed by the Ministries and Public Undertakings while signing such contracts; and

(c) whether it is proposed to request a Parliamentary Committee to enquire whether these guidelines were duly observed in the case of contracts signed since 1991-92 and to suggest, in case, necessary changes in these guidelines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI